भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2741

उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025

सोमवार, 26 फाल्गुन 1946 (शक)

कंधमाल में मेगा कौशल विकास केन्द्र

2741. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कौशल अंतराल को दूर करने के लिए कंधमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मेगा कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्रों, कार्यान्वयन की समय-सीमा और बजटीय प्रावधानों सहित प्रस्तावित केन्द्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे केन्द्र की स्थापना न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस क्षेत्र के लिए किन्हीं वैकल्पिक कौशल विकास पहलों की योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की उद्योग के हितधारकों और स्थानीय प्राधिकरणों के साथ सहयोग करने की योजना है और अगले पांच वर्षों के दौरान कंधमाल, बौध, नयागढ़ और गंजम में कौशल विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (घ): भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), ओडिशा राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

अखिल भारतीय स्तर पर तथा ओडिशा और कंधमाल जिले में एमएसडीई की इन योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का विवरण नीचे दिया गया है:

	पीएमकेवीवाई (वर्ष 2015-16 से दिनांक 31.12.2024 तक)	**जेएसएस (वर्ष 2018-19 से दिनांक 31.12.2024 तक)**	**एनएपीएस (वर्ष 2018-19 से दिनांक 28.02.2025 तक)**	**आईटीआई (वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक)**
अखिल भारत	1,60,33,081	29,52,539	37,09,218	79,57,128
ओडिशा	5,98,174	2,65,645	45,285	3,27,281
कंधमाल	10,337	6,240	131	3008

कौशल विकास के लिए एमएसडीई की योजनाएं मांग आधारित हैं और देश भर में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जरूरत के आधार पर प्रशिक्षण केंद्र (टीसी) स्थापित/संलग्न किए जाते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर और ओडिशा तथा कंधमाल जिले में एमएसडीई की योजनाओं के तहत प्रशिक्षण केंद्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

	पीएमकेवीवाई केंद्र	**जेएसएस केंद्र**	**एनएपीएस प्रतिष्ठान**	**आईटीआई**	
				राजकीय	**निजी**
अखिल भारत	14,844	289	49,788	3,316	11,296
ओडिशा	307	29	738	73	427
कंधमाल	08	04	13	3	3

(ङ) और (च): कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने संबंधित क्षेत्रों में उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) का गठन किया है। इन एसएससी को संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों को निर्धारित करने का अधिकार है। ओडिशा राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित जिला कौशल समितियों (डीएससी) को जमीनी स्तर पर कौशल विकास और कार्यान्वयन के लिए विकेंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देने के लिए जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) तैयार करने का अधिकार है। वर्ष 2024-25 के लिए ओडिशा के बौध, नयागढ़ और कंधमाल जिलों के लिए डीएसडीपी तैयार कर ली गई है। वित्तीय-वर्ष 2024-25 के लिए ओडिशा के बौध, नयागढ़ और कंधमाल जिलों के लिए डीएसडीपी एमएसडीई को सौंप दिए गए हैं। डीएसडीपी रोजगार के अवसरों के साथ-साथ जिले में कौशल की संबंधित मांग वाले क्षेत्रों की पहचान करते हैं।

एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल को वर्तमान उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

(i) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने उद्योग आवश्यकताओं के अनुसार 8151 अर्हताओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 3089 योग्यताएं वैध और सक्रिय हैं, और 5062 योग्यताएं अप्रासंगिक होने के कारण संग्रहीत हैं।

(ii) संबंधित क्षेत्रों में उद्योग जगत के नेताओं के नेतृत्व में 36 क्षेत्र स्किल काउंसिल (एसएससी) स्थापित किए गए हैं, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है। बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत एनएसडीसी उन प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग की मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों को सहयोग और संरेखित करते हैं।

(iii) एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीटी) उद्योग भागीदारों के साथ फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है। इनका उद्देश्य आईटीआई छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(iv) भारत सरकार ने कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में बारह देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)/सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रयासों को संरेखित किया जा सके।

(v) डीजीटी ने सीएसआर पहल के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और पेशेवर कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान की सुविधा प्रदान करती हैं।

(viii) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में अहमदाबाद और मुंबई में स्थापित भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) का उद्देश्य उद्योग 4.0 के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल तैयार करना है, जो अत्याधुनिक तकनीक और व्यावहारिक प्रशिक्षण से लैस हो।

(ix) एमएसडीई के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने डिजिटल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, रेडहैट, पियर्सन वीयूई, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी), सिस्को नेटवर्किंग अकादमी जैसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ भागीदारी की है।

*****